बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि अपीलान्ट लगभग 20 वर्ष से उचित मूल्य दुकान का राशन डीलर है, जब भी रसद विभाग द्वारा जांच की गई अपीलान्ट की राशन डीलर की दुकान पर कोई अनियमितता नही पाई गई। झूठी शिकायत के आधार पर दिनांक 12.12.2019 को रसद विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया किन्तु की गई शिकायत व तदुपरान्त की गई जांच की प्रतिलिपी अपीलान्ट को उपलब्ध नही कराई गई। राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अनुसार जाचं की कार्यवाही किसी भी सूरत में 90 दिन के अन्दर पूर्ण करनी होती है । अपीलान्ट पर लगाये गये ज्यादातर आरोप केवल छोटी छोटी अनियमितताओं के थे जिनको अपीलान्ट ने दूर कर दिया व भविषय में इस प्रकार की अनियमितता नही करने का आश्वासन दिया। गेंहू व शक्कर का स्टॉक कम होने का आरोप अघोषित कारणों से लगाये जबकि रेकार्ड के अनुसार भौतिक सत्यापन में शक्कर व गेंहू का स्टॉक भण्डार में था,भण्डार में जगह की कमी होने के कारण 156.72 क्विटंल गेंहू पास के भण्डार में रखा हुआ था जिसको भी दिनांक 18.09.2020 को रमेश पारेता डीलर कामखेड़ा 1 का था उसको दे दिया,इस प्रकार राज्य सरकार की किसी भी तरह की कोई आर्थिक हानि नही हुई । जिला रसद अधिकारी ने गबन करने वाले राशन डीलर जिसका नाम श्रीनेमीचन्द है तथा राजपुरिया तहसील पिड़ावा की दुकान पर डीलर है उसको जुर्माना करके उसकी डीलर शीप बहाल की है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच प्रकिया नियम व कानून के विरूद्ध है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 25.09.2020 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलर शिप को बहाल किया जावे।

इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय प्राप्त शिकायत की जांच करने पर रेकार्ड अनुसार गेंहू कम पाया जाने पर बार–बार नोटिस दिया जाने पर लगभग 9 माह पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त गेंहू को जमा कराया गया है। अपीलान्ट की सुनवाई की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अघोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक से कराई गई व अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 19.12.2019 को निलम्बित कर दिया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राधिकार पत्र निलम्बन दिनांक 19.12.2019 पश्चात अपीलान्ट को उक्त कम में कारण स्पष्ट करने हेतु लगातार अवसर दिये जाते रहे व अवशेष स्टॉक को संबद्ध उचित मूल्य दुकानदार को नही संभलाने पर स्थिति स्पष्ट करने बाबत लिखा जाता रहा किन्तु अपीलान्ट द्वारा भौतिक सत्यापन पर कम पाये गये स्टॉक के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने पर भी अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट एंव संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया व 9 माह पश्चात सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को स्टॉक का हस्तान्तरण किया जाना साबित है । अपीलान्ट द्वारा किये गये कृत्य पर जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या– 70/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2020 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 143/अपील/20

तारिख दायरा: 09.12.2020

बद्रीलाल पुत्र हरिबल्लभ जाति दर्जी भूतपूर्व राशन डीलर कामखेड़ा प्रथम तहसील मनोहरथाना, नि0 बन्दा जागीर तहसील मनोहरथाना

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 25.09.2020 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 70/2019

उपस्थितः— श्री बच्चूलाल, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

—: निर्णय :—

दिनांकः 29.12.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश कमांकः 70/2019/अभियोजन/दिनांक 25.09.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । अपने अपील मेंमों में अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट लगभग 20 वर्ष से उचित मूल्य दुकान का राशन डीलर है, जब भी रसद विभाग द्वारा जांच की गई अपीलान्ट की राशन डीलर की दुकान पर कोई अनियमितता नही पाई गई। गांव के कुछ लोगों की झूठी शिकायत के आधार पर दिनांक 12.12.2019 को रसद विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया किन्तु की गई शिकायत व तदुपरान्त की गई जांच की प्रतिलिपी अपीलान्ट को उपलब्ध नही कराई गई। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर माननीय रसद अधिकारी ने दिनांक 23.12.2019 को कारण बताओ नोटिस से जांच विधिवत शुरू हो गई। यद्यपि शासन सचिव (खाद्य)के आदेश कमांक एफ 17(45)खा.वि./न्याय/2011 जयपुर दिनांक 18.10.2017 की पालना में जाचं की कार्यवाही किसी भी सूरत में 90 दिन के अन्दर पूर्ण कर जिला रसद अधिकारी को अपना निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु उक्त आदेश की पालना नही की गई। प्राप्त नोटिस का जवाब व स्पष्टीकरण 04.05.2020 को जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, नोटिस के जवाब में सिलसिलेवार जवाब प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला रसद अधिकारी ने गोर नही किया। अपीलान्ट पर लगाये गये ज्यादातर आरोप केवल छोटी छोटी अनियमितताओं के थे जिनको अपीलान्ट ने दूर कर दिया व भविषय में इस प्रकार की अनियमितता नही करने का आश्वासन दिया। गेंहू व शक्कर का स्टॉक कम होने का आरोप अघोषित कारणों से लगाये जबकि रेकार्ड के अनुसार भौतिक सत्यापन में शक्कर व गेंहू का स्टॉक भण्डार में था,भण्डार में जगह की कमी होने के कारण 156.72 क्विटंल गेंहू पास के भण्डार में रखा हुआ था जिसको भी दिनांक 18.09.2020 को रमेश पारेता डीलर कामखेड़ा1 का था उसको दे दिया,इस प्रकार राज्य सरकार की किसी भी तरह की कोई आर्थिक हानि नही हुई । शक्कर का स्टॉक मशीन गलत बता रही थी न शक्कर का स्टॉक कम था न केरोसीन का स्टॉक था। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोपों का विस्तृत जवाब पेश किया गया। उसके बाद भी राज्य सरकार को कोई हानि हुई हो तो अपीलान्ट जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी की उम्र 52 वर्ष हो गई है,अपीलान्ट के पास आय का अन्य कोई साधन नही है परिवार के पालन पोषण में परेशानी आ रही है। माननीय जिला रसद अधिकारी का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है तथा मनमाना है। माननीय जिला रसद अधिकारी ने गबन करने वाले राशन डीलर जिसका नाम श्रीनेमीचन्द है तथा राजपुरिया तहसील पिड़ावा की दुकान पर डीलर है उसको जुर्माना करके उसकी डीलर शीप बहाल की है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच प्रकिया नियम व कानून के विरूद्ध है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनाक 25.09.2020 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलर शिप को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

जिला कलक्टर